

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- भंवरलाल पुत्र हीमताराम --बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- 134/2023

हुम्न या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------------------	---

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प गरनिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- गरनिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 67, 133 व भाकरवासनी के खा.सं. 61 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरूराम पुत्र हिमता दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र हीमताराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम भंवरूराम पुत्र हिमता के स्थान पर भंवरलाल पुत्र हीमताराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान गरनिया में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- गरनिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 67, 133 व भाकरवासनी के खा.सं. 61 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरूराम पुत्र हिमता दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र हीमताराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम भंवरूराम पुत्र हिमता के स्थान पर भंवरलाल पुत्र हीमताराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा- गरनिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 67, 133 व भाकरवासनी के खा.सं. 61 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि भंवरूराम पुत्र हिमता को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " भंवरलाल पुत्र हीमताराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(सुभाष सुन्दर बिज्जोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कमिश्नर जैतारण (पाली)

